फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती गेन्दा कुंवर विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या: 09 / 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 05.02.2019

पत्रावली तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्टर्ड की गई।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाता दुरूस्ती का पेश कर राजस्व रेकार्ड में गलत नाम गोविन्द कुंवर दर्ज होने से सही नाम गेन्दा कुंवर दर्ज कराने का निवेदन किया। प्रकरण को तहसीलदार मावली से जांच करवाई गई। तहसीलदार मावली द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र अनुसार गोविन्दकुंवर उर्फ गेन्दा कुंवर पत्नी सज्जनसिंह किया जाने की अनुशंषा की है।

हमने प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित भूमि में खातेदार का नाम गोविन्द कुंवर दर्ज है जो गलत होना बताया जबकि वास्तविक नाम गेन्दा कुंवर है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड की प्रति, वोटर आईडी, भामाशाह कार्ड राशनकार्ड की नकल पेश किया जिनमें सभी दस्तावेजात में नाम गेन्दा कुंवर अंकित है। प्रकरण में राजपैरोकार द्वारा जांच कर प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा लदानी पटवार हल्का लदानी तह. मावली की आराजी नम्बर 1303, 1304 किता 2 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि में प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में " **गोविन्द कुंवर के बजाय गोविन्द कुंवर उर्फ गेन्दा कुंवर पत्नी सज्जन सिंह**" दुरस्त किया जाने का आदेश किया जाता है। इसी अनुसार संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

Scanned by CamScanner